NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Indian Express, Delhi, 18/06/2026
Page No: 9, Size: 46.51cm × 14.53cm

The 100-day vigil: How a custodial death case ended in a state-ordered cremation

Arun Janardhanan
Chennai, June 17

FOR MORE than 100 days, the body of Akash Delison lay inside the mortuary of a government hospital in southern Tamil Nadu, preserved as evidence of a death his family said the police had caused -- and as the centrepiece of their demand for accountability. On Wednesday, that vigil ended without the resolution they had sought.

Delison's family had refused to accept the 26-year-old Dalit man's body from the Government Rajaji Hospital in Madurai, alleging that he had been tortured to death in police custody. On Wednesday, government officials, under heavy police protection, removed his body from the hospital and transported it to the Thathaneri crematorium, a day after the Madras HC ruled that the body could not remain indefinitely in the mortuary.

His parents, sister and uncle were permitted to accompany the remains and pay their final respects. But the cremation itself was conducted by the authorities, acting on an order issued a day earlier by the Madurai Bench of the Madras HC.

Outside the hospital, relatives and supporters protested the government's decision, asking for more time to appeal. Fourteen people were taken into custody as they attempted to prevent officials from removing the body. Family members alleged they had been threatened with detention.

The confrontation marked the final, painful stage of a case that began with an arrest on March 6 and developed into one of the most disturbing allegations of custodial torture in Tamil Nadu in recent years.

The allegations

Delison, a resident of Krishnarajapuram in Manamadurai and a member of the SC Pallar community, was detained along with another man in connection with an attempted-murder case. The two were accused of attacking P Jayakumar and R Azhagar with sharp weapons.

The police said Delison sustained a serious leg injury while attempting to escape. His family said the explanation concealed a brutal interrogation.

Delison had given a statement to a judicial magistrate describing what he said had happened in police custody before he died on March 8 . According to the declaration, officers blindfolded him, positioned stones beneath his ankle and knee, covered his leg with a wet sack and struck it with an iron rod. "Immediately upon being hit, the bone broke and protruded out, and there was bleeding," he said in the statement.

Family members mourn during the last rites of Akash Delison, in Madurai on Wednesday. ANI

The alleged use of a wet sack was particularly chilling to lawyers and rights advocates with activists claiming that it is used to reduce obvious external marks even as blows cause fractures, internal bleeding and extensive damage to muscles, nerves and blood vessels.

Delison's family refused to receive the body after the postmortem examination, demanding the arrest of all 16 police personnel they believed were connected to the episode.

Six officers were eventually suspended and the investigation was transferred to the Crime Branch-Criminal Investigation Department, or CB-CID.

The aftermath

But the suspensions did not satisfy the family. Its refusal to bury or cremate Delison transformed the hospital mortuary into a prolonged site of protest. Forensic findings added to the questions surrounding the police account. The post-mortem documented more than two dozen injuries, including fractures of the tibia and fibula, extensive muscle and nerve damage, wounds on the elbows and knees, and multiple abrasions.

A large internal contusion, measuring roughly 45 centimetres by 12 centimetres, was recorded around the injured leg. Forensic experts also allegedly identified apparent discrepancies between the initial medical records and the final autopsy, including differences concerning the possible role of a fat embolism in Delison's death.

The pattern and severity of the injuries prompted questions over whether they could reasonably have resulted from a fall. Concerns were also raised over whether all NHRC protocols governing custodial deaths had been followed.

The state continued to deny that Delison had been tortured. Its lawyers told the HC that he had never been taken to Manamadurai police station and that his injuries occurred during his attempt to escape. The government said the criminal case had nevertheless been altered to include murder and provisions of the SC/ST Act. The family was given Rs 6 lakh in compensation.

On Tuesday, Justice L Victoria Gowri ruled that the body could not remain indefinitely in the mortuary. A decent burial or cremation, the judge said, was an extension of human dignity.

The case has carried political consequences beyond Manamadurai. Custodial deaths and allegations of police excess became one of the recurring stains on the former DMK government, damaging its claims of socially just and humane governance. They were among the issues that opposition parties used to portray the administration as unaccountable before its electoral defeat. For Delison's family, however, the political reckoning remains secondary to an unanswered demand.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 18/06/2026
Page No: 3, Size: 10.85cm × 29.87cm

हिरासत में होने पर मंत्रियों को हटाने संबंधी बिल पर एनएचआरसी से चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र : गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपने-आप पद से हटाने से जुड़े एक अहम बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की। इसमें प्रस्तावित कानूनों के नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक प्रभावों का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ समिति की बैठक दिन भर की चर्चाओं का मुख्य केंद्र रही। संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) बिल, 2025 पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने भी अकादमिक और संवैधानिक नजरिए पेश किए। उल्लेखनीय है कि विपक्ष ने इन बिलों को गैर-एनडीए शासित राज्यों की सरकार को को निशाना बनाने का एक जरिया बता रहा है और इस नाते वह विरोध भी कर रहा है।

Siasat Daily, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.siasat.com/nhrc-steps-in-as-children-trek-14-km-through-forest-in-karnataka-3491032/amp/

NHRC steps in as children trek 14 km through forest in Karnataka

Pachedoddi students reportedly trek through tiger-prone forests to reach school.
Bengaluru: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued conditional summons to senior Karnataka government officials over allegations that more than 50 students from a remote village in Chamarajanagar district are forced to walk nearly 14 kilometres daily through dense forest and wildlife-prone areas to attend school.
The summons, issued through a speaking order dated June 16, have been served to the Principal Secretary of the Department of Primary and Secondary Education and the Deputy Commissioner of Chamarajanagar district.
The case relates to students from Pachedoddi village in Hanur taluk, who reportedly traverse forest stretches, including areas known for tiger movement, due to the absence of proper road connectivity and public transport facilities.
The matter came before the NHRC following a pro bono complaint filed by Hyderabad-based human rights advocate Yennam Balachander Reddy. The complaint alleged that the students are exposed to serious risks, including wild animal attacks, physical exhaustion, psychological stress and disruption of education, thereby affecting their constitutional rights to life, safety, dignity and education.
Details not furnished despite repeated directions
According to NHRC records, the commission had on December 23, 2025, directed the Karnataka Education Department and the district administration to conduct an inquiry and submit an action taken report (ATR) within two weeks. A reminder was subsequently issued on February 3, 2026. However, despite repeated directions, the authorities allegedly failed to furnish the required report.
Taking serious note of the non-compliance, the NHRC observed that if the allegations are found to be true, they may amount to violations of fundamental rights guaranteed under Articles 21 and 21A of the Constitution.
The Commission also referred to a 2017 Supreme Court judgment in Manager Palathingal MLP School vs Sethumadhavan PK, which emphasised that children should not be compelled to walk long distances to access education.
The conditional summons have been issued under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The officials have been directed to appear personally or through an authorised representative familiar with the facts of the case.
The matter is scheduled for hearing before the NHRC on July 15 at Manav Adhikar Bhawan in New Delhi. However, the commission has clarified that the personal appearance of the officials will not be required if the inquiry report and ATR are submitted on or before July 1.
The case has once again brought attention to the challenges faced by students in remote forest regions and the need for improved connectivity and educational access in rural Karnataka.

Source: https://www.business-standard.com/india-news/stakeholders-back-bill-to-decriminalise-politics-says-panel-chief-sarangi-126061700701_1.html

Stakeholders back Bill to decriminalise politics, says panel chief Sarangi

Addressing a press conference, Sarangi said that the stakeholders extended support to the bill and also submitted some written comments and suggestions

The joint committee of Parliament examining the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, on removal of PMs, CMs and ministers from office if they are detained for over 30 days for serious crimes has received support and suggestions on the proposed legislation and found no resistance to its intent to decriminalise politics, panel chairman and BJP MP Aparajita Sarangi said on Wednesday.

The 30-member committee held a stakeholders' meet at the Delhi Secretariat with Chief Minister Rekha Gupta, departments of Law and Home of the Delhi government, National Human Rights Commission (NHRC), Guru Gobind Singh Indraprastha University and NGO Common Cause.

Addressing a press conference, Sarangi said that the stakeholders extended support to the bill and also submitted some written comments and suggestions.

Sarangi said the committee has held 11 meetings so far and visited nine states and Union Territories, including Rajasthan, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, Telangana and Punjab.

She claimed that states such as Telangana and Punjab, which are ruled by non-NDA parties, are among those who have expressed support for the spirit of the proposed legislation while suggesting certain modifications.

The proposed legislations seek to decriminalise politics, prevent government being run from jail and strengthen accountability in public life, she said.

The Constitution (130th Amendment) Bill and two related legislations -- J-K Reorganisation (A) Bill, 2025, and The Government of UTs (A) Bill, 2025 -- were tabled in the Lok Sabha on August 20, 2025.

One of the key provisions in the Constitution (130th Amendment) Bill proposes that if the prime minister, a chief minister, a Union minister or a state minister is arrested for an offence carrying a punishment of five years or more and is not granted bail within 30 days, the person would cease to hold office.

The joint committee was constituted in November 2025 to examine the Bills.

Sarangi said the panel's interactions so far have indicated support rather than resistance to the intent of the bills introduced in the Lok Sabha in August 2025.

"There have been useful suggestions and recommendations, but no opposition to the objective behind them," she said.

Northeast Today, Online News, 18/06/2026

Source: https://northeasttoday.in/northeast/sikkim-mp-indra-hang-subba-participates-in-joint-parliamentary-committee-study-visit-in-delhi/

Sikkim MP Indra Hang Subba Participates In Joint Parliamentary Committee Study Visit In Delhi

Indra Hang Subba, Member of Parliament (Lok Sabha) from Sikkim and a member of the Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the Constitution (130th Amendment) Bill, the Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025, and the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025, participated in the Committee's study visit and consultations in New Delhi on Wednesday.

The study visit was conducted under the chairpersonship of Aparajita Sarangi, Member of Parliament and Chairperson of the Joint Parliamentary Committee. As part of the programme, the Committee held a series of consultations with key stakeholders at the Delhi Secretariat.

During the visit, the Committee interacted with representatives of the Government of the National Capital Territory of Delhi, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Law and Justice, the National Human Rights Commission (NHRC), Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU), and civil society organisation Common Cause.

The Committee also met the Chief Minister of Delhi to discuss issues related to governance, administration, and the potential implications of the proposed legislative amendments.

The study visit was undertaken as part of the Committee's ongoing examination of the Bills, with the objective of conducting a comprehensive review and formulating recommendations for consideration by Parliament.

Source: https://theprint.in/india/joint-committee-seeks-views-of-nhrc-on-bills-for-removing-pm-cms-detained-on-serious-charges/2962690/

Joint committee seeks views of NHRC on bills for removing PM, CMs detained on serious charges

New Delhi, Jun 17 (PTI) A joint committee of Parliament examining a key bill on automatic removal of the prime minister, chief ministers and ministers detained in custody for 30 consecutive days on serious criminal charges on Wednesday held consultations with the NHRC and other stakeholders here.

The local study visit focused heavily on evaluating the civil liberties and administrative implications of the proposed laws.

The committee's meeting with the National Human Rights Commission served as the anchor of the day's deliberations.

The panel, which has been boycotted by the opposition, also met Delhi Chief Minister Rekha Gupta.

The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, The Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025 and The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025 were referred to the joint committee of Parliament for threadbare consultations.

The Indraprastha (GGSIP) University offered academic and constitutional viewpoints on the legislative drafts.

The JPC is expected to compile these diverse inputs from administrative leaders, human rights defenders, academics, and legal activists as it prepares its final report for Parliament.

The opposition has described the bills as a tool to target states not ruled by the NDA. PTI NAB RT RT

Deccan Chronicle, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.deccanchronicle.com/amp/southern-states/telangana/nhrc-orders-ugc-police-to-act-on-students-death-1964328

NHRC Orders UGC, Police to Act on Student's Death

According to the complaint, Praneeth allegedly died by suicide on April 19 at Hayathnagar.
Hyderabad:The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the University Grants Commission (UGC) and the Rachakonda police commissioner to take appropriate action on a complaint alleging that harassment by college staff preceded the death of an engineering student in Telangana, and to inform the complainant of the action taken within eight weeks.
The commission issued the direction after examining a complaint filed by Hyderabad-based Devarala Yadav regarding the death of M. Praneeth, a 21-year-old third-year engineering student of Sri Indu Engineering College in Ibrahimpatnam, Rangareddy district.
In its communication dated June 17, the NHRC said the complaint had been placed before the Commission and was being transmitted to the concerned authorities for action deemed appropriate. It directed the authorities to take necessary steps, associate the complainant and victim’s side in the process, and communicate the outcome within eight weeks.
According to the complaint, Praneeth allegedly died by suicide on April 19 at Hayathnagar. The representation cited media reports and alleged that the student had been subjected to mental harassment and coercion by a staff member over payment of a condonation fee linked to attendance shortage. The complaint further alleged that the student’s family had held the college management responsible and sought an inquiry into the role of the institution and its staff.
The complainant urged authorities to ensure a fair investigation and sought action if any violations of student rights or institutional safeguards were established. “The matter requires a thorough inquiry and accountability if lapses are found,” the complaint stated.
The NHRC has not made any findings on the allegations. The matter will now be examined by the UGC and the concerned police authorities, which have been asked to take appropriate action and submit their response within the stipulated period.

Source: https://indianexpress.com/article/india/akash-delison-custodial-death-100-day-mortuary-protest-madras-high-court-10744891/

The 100-day vigil: How custodial death case ended in state-ordered cremation

After more than 100 days in a Madurai mortuary, the body of Akash Delison was cremated on a court order. The development, which follows an HC order, brings to a close an extraordinary standoff between the state and a family alleging custodial torture and seeking justice

For more than 100 days, the body of Akash Delison lay inside the mortuary of a government hospital in southern Tamil Nadu, preserved as evidence of a death his family said the police had caused — and as the centrepiece of their demand for accountability. On Wednesday, that vigil ended without the resolution they had sought.

Delison's family had refused to accept the 26-year-old Dalit man's body from the Government Rajaji Hospital in Madurai, alleging that he had been tortured to death in police custody. On Wednesday, government officials, under heavy police protection, removed his body from the hospital and transported it to the Thathaneri crematorium, a day after the Madras High Court ruled that the body could not remain indefinitely in the mortuary.

His parents, sister and uncle were permitted to accompany the remains and pay their final respects. But the cremation itself was conducted by the authorities, acting on an order issued a day earlier by the Madurai Bench of the Madras High Court.

Outside the hospital, relatives and supporters protested the government's decision, asking for more time to appeal. Fourteen people were taken into custody as they attempted to prevent officials from removing the body. Family members alleged they had been threatened with forcible detention.

The confrontation marked the final, painful stage of a case that began with an arrest on March 6 and developed into one of the most disturbing allegations of custodial torture in Tamil Nadu in recent years.

The allegations

Delison, a resident of Krishnarajapuram in Manamadurai and a member of the Scheduled Caste Pallar community, was detained along with another man in connection with an attempted murder case. The two were accused of attacking P Jayakumar and R Azhagar with sharp weapons.

The police said Delison sustained a serious leg injury after jumping from a bridge while attempting to escape. His family said the explanation concealed a brutal interrogation.

Delison died on March 8 at Government Rajaji Hospital, after being transferred through government hospitals in Manamadurai and Sivaganga. By then, he had given a statement to a judicial magistrate describing what he said had happened in police custody. According to the declaration, officers blindfolded him, positioned stones beneath his ankle and knee, covered his leg with a wet sack and struck it forcefully with an iron rod.

"Immediately upon being hit, the bone broke and protruded out, and there was bleeding," he said in the statement.

The alleged use of a wet sack was particularly chilling to lawyers and rights advocates. The method — placing soaked cloth over a limb before striking it — has long been described in allegations of police torture in Tamil Nadu, with activists claiming that it is used to reduce obvious external marks even as blows cause fractures, internal bleeding and extensive damage to muscles, nerves and blood vessels.

Delison's father, A Rajeshkannan, alleged that officers had deliberately crushed his son's leg between stones, causing catastrophic blood loss. The family refused to receive the body after the post-mortem examination, demanding the arrest of all 16 police personnel they believed were connected to the episode.

Six officers were eventually suspended: Inspector Dileepan of the Thiruppuvanam police station, Manamadurai Sub-Inspector Gugan, head constables Deivendran and Sarathkumar, and constables Kalishwaran and

Manoharan. The investigation was transferred to the Crime Branch-Criminal Investigation Department, or CB-CID.

The aftermath

But the suspensions did not satisfy the family. Its refusal to bury or cremate Delison transformed the hospital mortuary into a prolonged site of protest. Forensic findings added to the questions surrounding the police account. The post-mortem, conducted in the presence of a judicial magistrate, reportedly documented more than two dozen injuries, including fractures of the tibia and fibula, extensive muscle and nerve damage, wounds on the elbows and knees, and multiple abrasions.

A large internal contusion, measuring roughly 45 centimetres by 12 centimetres, was recorded around the injured leg. Forensic experts also allegedly identified apparent discrepancies between the initial medical records and the final autopsy, including differences concerning the possible role of a fat embolism in Delison's death.

The pattern and severity of the injuries prompted questions over whether they could reasonably have resulted from a fall from a bridge. Concerns were also raised over whether all National Human Rights Commission protocols governing custodial deaths had been followed.

The state continued to deny that Delison had been tortured. Its lawyers told the high court that he had never been taken to the Manamadurai police station and that his injuries occurred during his attempt to escape.

The government said the criminal case had nevertheless been altered to include murder and provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. The family was provided Rs 6 lakh in compensation under the law.

On Tuesday, Justice L Victoria Gowri ruled that the body could not remain indefinitely in the mortuary. The post-mortem and other medico-legal procedures had been completed, samples preserved and the investigation transferred to an independent agency, she noted.

A decent burial or cremation, the judge said, was an extension of human dignity, and that dignity could itself be defeated by the indefinite preservation of mortal remains. She directed officials to document the body through photographs and video, follow the family's religious customs as far as they could be ascertained and ensure that the cremation did not prejudice the CB-CID investigation.

The case has carried political consequences beyond Manamadurai. Custodial deaths and allegations of police excess became one of the recurring stains on the former DMK government, damaging its claims of socially just and humane governance. They were among the issues that opposition parties used to portray the administration as unaccountable before its electoral defeat. For Delison's family, however, the political reckoning remains secondary to an unanswered demand.

Amar Ujala, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.amarujala.com/haryana/kaithal/applications-for-the-film-competition-open-until-the-30th-kaithal-news-c-245-1-kn11005-151023-2026-06-18

Kaithal News: फिल्म प्रतियोगिता के लिए आवेदन 30 तक

कैथल। उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से 12वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में संवेदनशीलता विकसित करने का एक उत्कृष्ट मंच है।
इसमें जिले के युवाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिक अपनी लघु फिल्में 30 जून तक गूगल ड्राइव के माध्यम से nhrcshortfilm@gmail.com पर भेज सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक, किसी भी आयु वर्ग का प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। फिल्म हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में बनाई जा सकती है जबकि गैर-अंग्रेजी फिल्मों के लिए अंग्रेजी सब-टाइटल अनिवार्य होंगे। अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट निर्धारित की गई है। प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।

Source: https://www.etvbharat.com/hi/state/delhi-government-offered-key-suggestions-during-jpc-meeting-in-delhi-regarding-bills-aimed-at-bringing-transparency-to-politics-dls26061703696

राजनीति में पारदर्शिता लाने वाले विधेयकों पर जेपीसी की दिल्ली में बैठक, दिल्ली सरकार ने दिए अहम सुझाव

जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने विधेयकों की मूल भावना और केंद्र सरकार की मंशा का समर्थन किया
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जेल से शासन चलाने जैसी स्थितियों को रोकने के उद्देश्य से लाए गए तीन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) देशभर में विभिन्न राज्यों और संस्थाओं से राय ले रही है. इसी कड़ी में बुधवार को नई दिल्ली सचिवालय में जेपीसी की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने समिति के कामकाज और दिल्ली सरकार के साथ हुई बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समिति का उद्देश्य सभी पक्षों की राय सुनना और व्यापक चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करना है. लोकतंत्र में हर आवाज जरूरी है और समिति यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले.
2025 में हुआ था जेपीसी का गठन: जेपीसी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए थे. इन विधेयकों का उद्देश्य राजनीति को अपराधमुक्त बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना है. इन विधेयकों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की राय जानने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 12 नवंबर, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया. समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं. इसके बाद 4 दिसंबर, 2025 को समिति की पहली बैठक हुई और तब से लगातार विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के साथ चर्चा की जा रही है.
नौ राज्यों और कई संस्थाओं से की गई बातचीत: उन्होंने बताया कि समिति अब तक राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर चुकी है. इसके अलावा गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों को भी विस्तार से सुना गया है. समिति ने देशभर की लगभग 30 संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के सुझाव भी लिए हैं. समिति का मकसद केवल विधेयकों का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि इनका आम जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
क्या हैं तीनों विधेयक: जेपीसी जिन तीन विधेयकों पर विचार कर रही है, उनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं. अपराजिता सारंगी ने बताया कि इन विधेयकों का सबसे जरूरी प्रावधान यह है कि अगर प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या केंद्र और राज्य स्तर के कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उसे 31वें दिन अपने पद से हटना होगा. उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की स्थिति में शासन व्यवस्था प्रभावित न हो और जनता का विश्वास बना रहे.
दिल्ली सरकार के साथ हुई सकारात्मक चर्चा: जेपीसी अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को समिति ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों ने विधेयकों पर अपने विचार रखे. दिल्ली सरकार ने विधेयकों की मूल भावना और केंद्र सरकार की मंशा का समर्थन किया है. हालांकि सरकार ने कुछ बिंदुओं पर संशोधन और सुधार के सुझाव भी दिए हैं. बताया कि दिल्ली सरकार ने लिखित रूप में अपने सुझाव समिति को सौंपे. सरकार ने विधेयकों के सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ उन बिंदुओं की भी जानकारी दी जिनमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गई. दिल्ली सरकार ने बेहद गंभीरता और गहन अध्ययन के बाद अपनी राय रखी है, जिसकी समिति सराहना करती है.
एनएचआरसी और अन्य संस्थाओं से भी मिली राय: दिल्ली दौरे के दौरान समिति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और सामाजिक संस्था कॉमन कॉज के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की. अपराजिता सारंगी ने कहा कि समिति सभी वर्गों के लोगों की राय सुन रही है. चाहे वह सरकारी संस्था हो, शिक्षण संस्थान हो, सामाजिक संगठन हो या युवा वकील, सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है.
रिपोर्ट में शामिल होंगे सुझाव: जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न राज्यों, संस्थाओं और विशेषज्ञों से मिले सुझावों का गहन अध्ययन किया जाएगा. जिन सुझावों को उपयुक्त माना जाएगा, उन्हें समिति की अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा. दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए कई सुझाव महत्वपूर्ण हैं और समिति उन पर गंभीरता से विचार करेगी. सभी विचार-विमर्श और सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इन विधेयकों पर संसद में आगे चर्चा होगी. समिति का प्रयास है कि कानून बनाने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सहभागी बने, जिससे देशहित में प्रभावी और व्यावहारिक कानून तैयार किए जा सकें.
संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल में ये सदस्य रहे शामिल: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ सांसद और अनुभवी जनप्रतिनिधि शामिल हैं. समिति अध्यक्ष ने बताया कि यह समिति कुल 29 सदस्यों की है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं. बैठक में मौजूद प्रमुख सदस्यों में राज्यसभा सांसद लक्ष्मण, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सांसद मनन कुमार मिश्रा,

तेलंगाना के महबूबनगर से लोकसभा सांसद अरुणा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सदस्य बृजलाल, रायपुर (छत्तीसगढ़) से लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सिक्किम से लोकसभा सांसद डॉ. इंद्र हंग सुब्बा शामिल रहे.

Dainik Jagran, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.jagran.com/news/national-all-parties-supported-the-proposed-law-to-curb-the-criminalization-of-politics-says-sarangi-40276601.html

बदलेगी देश की राजनीति... सारंगी ने बताया- अपराधीकरण रोकने वाले कानून को मिला सबका साथ

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों को गंभीर अपराधों के मामलों में 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने के प्रविधान वाले संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति को प्रस्तावित कानून के समर्थन में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों को गंभीर अपराधों के मामलों में 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने के प्रविधान वाले संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति को प्रस्तावित कानून के समर्थन में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं।
समिति की अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बुधवार को कहा कि राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के उद्देश्य का किसी भी पक्ष ने विरोध नहीं किया है। इस 30-सदस्यीय समिति ने दिल्ली सचिवालय में हितधारकों के साथ बैठक की।
इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के विधि एवं गृह विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय तथा गैर-सरकारी संगठन 'कामन काज' के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सारंगी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हितधारकों ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि समिति अब तक 11 बैठकें कर चुकी है और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा पंजाब सहित नौ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर चुकी है।
भाजपा सांसद ने दावा किया कि तेलंगाना और पंजाब जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने भी कुछ संशोधनों का सुझाव देने के साथ प्रस्तावित कानून की मूल भावना का समर्थन किया है।
सारंगी का कहना था कि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करना, जेल से सरकार चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना तथा सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही को मजबूत करना है।
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 तथा इससे संबंधित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पिछले साल 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किए गए थे। फिर इसे संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजा गया।

Dainik Bhaskar, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.bhaskar.com/g/local/bihar/patna/news/khan-sir-raushan-anand-controversy-nhrc-notice-patna-ssp-138215484.html

रौशन के साथ गुरू रहमान, बोले-खान बहुत झूठ बोलता है:खान सर–रौशन आनंद विवाद में NHRC की भी एंट्री, पटना SSP को जारी किया नोटिस

पटना के फैसल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद के बीच चल रहा विवाद अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हस्तक्षेप कर पटना पुलिस से जवाब तलब किया है।

आयोग ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP पटना) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

वहीं, रौशन आनंद जमानत मिलने और रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत के बाद पटना पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस को लगातार दोनों कोचिंग संस्थानों के आसपास लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया है।

इस बीच खान सर को लेकर पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान ने बड़ा बयान दिया है। गुरु रहमान ने कहा, 'खान बहुत झूठ बोलता है... सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, रात में क्या बोलेगा... ये नहीं पता है।'

2018 से दोनों के संबंध खराब, अब अति हो गया- गुरू रहमान

इस पूरे विवाद को लेकर गुरु रहमान ने कहा, 'इस लड़ाई में मैंने ये देखा है कि 2018 से खान सर की ओर से शुरुआत की गई... जिसके बाद अन्य लोगों ने भी शुरू कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हम दिखाएं... रिजल्ट की खरीद-बिक्री के संबंध में दोनों शिक्षकों का एक-दूसरे से संबंध खराब चल रहा था। इस बार तो अति हो गया।'

गिरफ्तारी को लेकर आयोग पहुंचा मामला

ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रौशन आनंद को पर्याप्त साक्ष्यों के बिना जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया और उन पर गंभीर धाराएं लगा दी गईं।

आयोग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े हो सकते हैं, जिसके बाद पुलिस से जवाब मांगा गया है।

आयोग ने क्या कहा?

NHRC की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-12 के तहत मामले की सुनवाई शुरू की है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि शिकायत में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना दिखाई देती है। इसी आधार पर पटना पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

शिकायत में लगाए गए ये आरोप

मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को आयोग को भेजी शिकायत में दावा किया कि रौशन आनंद को एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालक की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

शिकायत के अनुसार, पुलिस ने पर्याप्त जांच किए बिना हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ्तारी कर ली।

जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद के गंभीर आरोप

हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए रौशन आनंद ने खान ग्लोबल स्टडी पॉइंट के संस्थापक फैसल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की कथित हत्या करवाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। प्रिंस यादव की हाल ही में नेपाल के विराटनगर में मौत हो गई थी।

जमानत पर छूटने के बाद रौशन आनंद ने कहा था कि पटना पुलिस ने खान सर की झूठी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया था। जब मैं जेल में था, तब मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। मुझे प्रिंस के लिए न्याय चाहिए।

नेपाल में हुई थी प्रिंस यादव की मौत

प्रिंस यादव का नाम 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई मारपीट, तोड़फोड़ और पथराव की घटना से जुड़े मामले में सामने आया था। बाद में नेपाल के विराटनगर में उनकी मौत की खबर आने से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। इस घटना के बाद कई तरह की चर्चाएं और सवाल खड़े हो गए हैं।

खान सर ने भी दी थी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद खान सर ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया था। उन्होंने किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार करते हुए मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ताकि मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें।

अब सबकी नजर पुलिस की रिपोर्ट पर

रौशन आनंद की गिरफ्तारी, प्रिंस यादव की मौत और दोनों शिक्षकों के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब NHRC की एंट्री ने मामले को और गंभीर बना दिया है। आयोग को पटना पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

पटना पुलिस अलर्ट मोड पर

वहीं, रौशन आनंद जमानत मिलने और रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत के बाद पटना पुलिस अलर्ट पर है। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने कदमकुआं, पीरबहोर और बहादुरपुर थाना की पुलिस को निर्देश दिया है कि माहौल पर नजर रखें।

पुलिस को लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, खान ग्लोबल स्टडीज और रौशन आनंद की इंस्टिट्यूट ज्ञान बिंदु के आसपास सादे ड्रेस में पुलिस को तैनात है, जो सभी परिस्थितियों पर नजर रख रहे हैं।

साइबर सेल सोशल मीडिया पर रख रही नजर

इस वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट हर दिन वायरल हो रहे हैं। दोनों संस्थानों के समर्थक अलग-अलग दावा पेश कर रहे हैं और एक-दूसरे गलत ठहरा रहे है।

ऐसे में इंटेलिजेंस भी उपद्रवी छात्रों पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर भी पटना पुलिस विशेष की नजर रख रही है। भड़काऊ पोस्ट की साइबर सेल जांच कर रही है। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

Source: https://www.livehindustan.com/bihar/raushan-anand-sir-trapped-in-fake-case-nhrc-sent-notice-to-patna-police-seek-answer-in-two-week-201781656992815.html

Raushan Anand News: रौशन आनंद को झूठे केस में फंसा कर जेल में डाला, NHRC का पटना पुलिस को नोटिस; 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Raushan Anand News: आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। शिका...

Raushan Anand News: पटना के मशहूर शिक्षक रौशन आनंद और फैजल खान उर्फ खान सर के बीच का विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। रौशन आनंद सर को हाल ही में जमानत मिली है और वो बेऊर जेल से बाहर आए हैं। पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के खिलाफ प्राथमिकी और उन्हें गिरफ्तार किये जाने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर की शिकायत पर आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

विशाल रंजन दफ्तुआर ने दस जून को आयोग को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि रौशन आनंद को दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक के कहने पर पुलिस ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया और एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया। दो जून को कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उचित जांच और सीधे सबूतों के अभाव के बावजूद, पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप सहित कई दंडात्मक धाराएं लगाईं और केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर कोचिंग निदेशक को गिरफ्तार कर लिया।

खान सर पर लगे गंभीर आरोप

आपको बता दें कि जेल से निकले के बाद खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक फैसल खान उर्फ 'खान सर' पर उनके प्रतिद्वंद्वी शिक्षक रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की खान उर्फ 'खान सर' पर उनके प्रतिद्वंद्वी शिक्षक रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की कथित हत्या करवाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। प्रिंस यादव की हाल ही में नेपाल के विराटनगर में मौत हो गई थी। जमानत पर छूटने के बाद रौशन आनंद ने कहा थाा कि पटना पुलिस ने खान सर की झूठी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया था। जब मैं जेल में था, तब मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। मुझे प्रिंस के लिए न्याय चाहिए। रौशन आनंद ने यह भी दावा किया था कि जेल के अंदर उनकी हत्या की साजिश भी रची गई। बता दें कि प्रिंस यादव 02 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर में हुए मारपीट, तोड़फोड़ और रोड़ेबाजी में आरोपी भी था। लेकिन नेपाल में अचानक उसकी मौत से सनसनी फैल गई है। हालांकि, खान सर ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई दी थी और प्रिंस यादव की मौत पर दुख जताया था। खान सर ने प्रिंस की मौत की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी।

First Bihar, Online News, 18/06/2026

Source: https://firstbihar.com/bihar/patna-news/roshan-anand-arrest-case-nhrc-notice-patna-ssp-report-405500

Bihar News: रौशन आनंद गिरफ्तारी मामले में बड़ा मोड़! मानवाधिकार आयोग ने पटना SSP को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

रौशन आनंद गिरफ्तारी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना SSP को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने का आदेश।
Bihar News: ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है।
मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई रौशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर की गई शिकायत पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने प्रारंभिक स्तर पर शिकायत को गंभीर मानते हुए इस मामले में संज्ञान लिया है।
शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को आयोग को पत्र भेजकर रौशन आनंद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। पत्र में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच और ठोस साक्ष्यों के कार्रवाई की।
शिकायत में यह भी कहा गया कि रौशन आनंद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। इसी शिकायत के आधार पर आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले को स्वीकार किया।
SSP को देना होगा जांच का ब्योरा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना SSP से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग यह जानना चाहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं।
रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। फिलहाल पुलिस विभाग को तय समय सीमा के अंदर जवाब देना होगा।
क्या है पूरा मामला
रौशन आनंद की गिरफ्तारी पटना के कदमकुआं थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हुई थी। यह मामला कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा बटोरी।
इस विवाद में कई पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। पुलिस ने जहां कार्रवाई को जांच के आधार पर बताया है, वहीं शिकायतकर्ता पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
मानवाधिकार आयोग की नजर अब पुलिस रिपोर्ट पर
अब सभी की नजर पटना पुलिस की ओर से भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर है। आयोग की जांच से यह स्पष्ट होगा कि गिरफ्तारी की कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी या नहीं।
इस मामले ने एक बार फिर पुलिस कार्रवाई और आरोपी के अधिकारों को लेकर बहस तेज कर दी है।

Patrika, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.patrika.com/amp/patna-news/khan-sir-roshan-anand-coaching-dispute-nhrc-notice-to-ssp-patna-20674823

Khan Sir vs Roshan Anand: NHRC ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल, SSP को जारी किया नोटिस

Khan Sir vs Roshan Anand: रौशन आनंद और खान सर विवाद मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए पटना के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा मानते हुए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

Khan Sir vs Roshan Anand: रौशन आनंद और फैजल खान उर्फ खान सर के बीच विवाद के मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भी एंट्री हो गई है। आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद 3 जून को पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था। हाल ही में उन्हें बेऊर जेल से जमानत पर रिहा किया गया है।

रौशन आनंद ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने मामले को गंभीर माना और पटना पुलिस से जवाब तलब किया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में पिछले दो सप्ताह के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर की शिकायत के आधार पर आयोग ने पटना के एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

NHRC ने पटना पुलिस से मांगा जवाब

प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर संकेत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को आयोग को पत्र भेजकर मामले की शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को एक अन्य कोचिंग संस्थान के संचालक के प्रभाव में पुलिस ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि उन्हें एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया है।

शिकायत के अनुसार, 2 जून को कदमकुआं थाना में दर्ज प्राथमिकी में पर्याप्त जांच और ठोस साक्ष्यों के अभाव के बावजूद पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराएं जोड़ दीं। आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की समुचित जांच पूरी किए बिना ही रौशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Source:
https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/national-human-rights-commission-steps-khan-sir-roshan-anand-dispute-seeks-response-from-patna-ssp-within-two-weeks/articleshow/131792509.cms

खान सर और रौशन आनंद विवाद में पटना SSP को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Khan Sir News: राजधानी पटना में चल रहे हाई प्रोफाइल कोचिंग विवाद में मानवाधिकार आयोग की एंट्री हो गई है। एनएचआरसी ने पटना के एसएसपी को नोटिस थमा दिया है। पटना एसएसपी से इस मामले में दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है।

पटना: खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के संचालक रौशन आनंद के बीच बढ़े विवाद के साथ ही इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एंट्री हो गई है। रौशन आनंद ने जेल से बाहर आने के बाद खान सर पर गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में एनएचआरसी की एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना के एसएसपी को पत्र लिखकर दो सप्ताह में इस मामले में जवाब तलब किया है। जानकारी के मुताबिक रौशन आनंद के लिए मानवाधिकार आयोग कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने पहल की है।

एनएचआरसी की एंट्री

बताया जा रहा है कि दफ्तुआर की ओर से 10 जून को ही इस घटनाक्रम के बीच मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा गया था। जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रियंका कानूनगो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की खंडपीठ ने इस मामले में एनएचआरसी संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से ये माना गया है कि प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का हनन हुआ है। ऐसे में पटना एसएसपी को मामले की जांच कर दो सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहा गया है।

पटना एसएसपी को नोटिस

मानवाधिकार आयोग को दिए गए पत्र में ये आरोप लगाया गया है कि पटना के रौशन आनंद को फैजल खान की शह पर पटना पुलिस की ओर से आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया। इसमें कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से मनमाना आचरण किया गया। विशाल दफ्तुआर ने लिखा है कि कदमकुआं में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि कोचिंग निदेशक से जुड़े कुछ दूसरे लोग दूसरे कोचिंग सेंटर यानी खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला और तोड़फोड़ में शामिल थे। लेकिन उचित जांच की जगह पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर बिना किसी सबूत के रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया।

रौशन आनंद का पक्ष

पत्र में जिक्र है कि रौशन आनंद किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। पुलिस की कार्रवाई एकपक्षीय और मनमाना आचरण से भरा हुआ है। रौशन आनंद के मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रौशन आनंद ने जेल से बाहर आने के बाद आरोप लगाया था कि खान सर ने उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या कराई है। इतना ही नहीं जेल में भी उनकी हत्या की साजिश की गई। साजिश के तहत खान ने फायरिंग कराई।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Prabhat Khabar, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/khan-sir-raushan-anand-dispute-nhrc-action-patna-ssp-notice-response-within-2-weeks

रौशन आनंद और खान सर विवाद में NHRC की एंट्री, पटना SSP को थमाया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Raushan Anand NHRC Action: रौशन आनंद और खान सर के बीच विवाद मामले में अब NHRC की एंट्री हो गई है. एनएचआरसी की ओर से पटना एसएसपी को नोटिस थमाया गया है. इसके साथ ही दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है.

Raushan Anand NHRC Action: ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद जेल से बाहर आ गए हैं. लेकिन विवाद अभी भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है. जेल से बाहर आते ही उन्होंने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए थे. अब इस मामले में एनएचआरसी की एंट्री हो गई है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना एसएसपी को लेटर लिखा है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

विशाल रंजन दफ्तुआर ने लिखा NHRC को लेटर

जानकारी के मुताबिक, रौशन आनंद के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने पहल की. उन्होंने 10 जून को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लेटर लिखा था, जिस पर एक्शन लिया गया है. प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की खंडपीठ ने इस संवेदनशील मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है.

आयोग ने माना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन प्रतीत होते हैं. ऐसे में पटना एसएसपी को मामले की जांच कर दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है.

विशाल रंजन दफ्तुआर ने लेटर में क्या-क्या लिखा?

मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजे गये लेटर में लिखा कि पटना के ज्ञान बिन्दु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद को फैजल खान की शह पर पटना पुलिस के की ओर से एक आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया और स्थानीय कदमकुआं थाना पुलिस के की ओर से उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया.

विशाल दफ्तुआर ने लिखा है कि कदमकुआं थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी कोचिंग निदेशक से जुड़े कुछ लोग दूसरे कोचिंग सेंटर(खान ग्लोबल स्टडीज) पर हमले, तोड़फोड़ और धमकी में शामिल थे. लेकिन उचित जांच और प्रत्यक्ष सबूत के अभाव के बावजूद पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई दंडात्मक प्रावधान लागू किए और एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों के अंदर कोचिंग निदेशक रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया.

एचआरयूएफ चेयरमैन ने लिखा है कि गिरफ्तार रौशन आनंद किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और पुलिस की कार्रवाई एकपक्षीय, मनमाना और पीड़ित रौशन आनंद के मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन थी. यह पुलिस की निष्पक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह है और ऐसे में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. ऐसे में पटना एसएसपी की ओर से क्या कुछ रिपोर्ट भेजा जाता है, यह देखने वाली बात होगी.

रौशन आनंद ने खान सर पर लगाया था आरोप

जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर आरोप लगाया था. रौशन आनंद ने कहा था कि खान सर ने उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या कराई. इतना ही नहीं, जेल में भी उनकी हत्या की साजिश की गई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि धमकी मिली थी कि मैनेज नहीं किया गया तो भाई की हत्या करवा देंगे. खान सर ने साजिश के तहत फायरिंग कराई और फंसाया.

Dainik Jagran, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.jagran.com/news/national-the-joint-committee-has-sought-the-opinion-of-the-nhrc-on-the-bill-regarding-the-removal-of-the-pm-and-cm-40276603.html

संयुक्त समिति ने पीएम-सीएम को हटाने से जुड़े बिल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांगी राय

गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपने-आप पद से हटाने से जुड़े एक अहम बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की।
पीटीआई, नई दिल्ली। गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपने-आप पद से हटाने से जुड़े एक अहम बिल की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की।
अध्ययन में मुख्य रूप से प्रस्तावित कानूनों के नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक प्रभावों का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ समिति की बैठक दिन भर की चर्चाओं का मुख्य केंद्र रही।
संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) बिल, 2025 को विस्तार से बातचीत के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने इन कानूनी ड्राफ्ट पर अकादमिक और संवैधानिक नजरिए पेश किए। उम्मीद है कि संयुक्त समिति संसद के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय प्रशासनिक नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, आकादमिक और कानूनी जानकारों से मिली जानकारियों और सुझावों को एक साथ लाएगी। विपक्ष ने इन बिलों को एनडीए शासित न होने वाले राज्यों को निशाना बनाने का एक जरिया बताया है।

Dainik Bhaskar, Online News, 18/06/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/bihar/nalanda/news/rajgir-mob-lynching-nhrc-complaint-advocate-dalit-youth-murder-138210597.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा राजगीर मॉब लिंचिंग मामला:वकील ने दर्ज कराई शिकायत, स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप; निष्पक्ष जांच की मांग

नालंदा के राजगीर में दो अनुसूचित जाति के युवकों की भीड़ की ओर से पीट-पीटकर की गई हत्या (मॉब लिंचिंग) का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिल्ली दरबार पहुंच गया है। नालंदा के मूल निवासी और दिल्ली में कार्यरत अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने इस वीभत्स घटना और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कथित गंभीर लापरवाही को लेकर आयोग के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए इसे डायरी संख्या आवंटित की है। यह शिकायत 16 जून को आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई है, जिसमें घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच की गुहार लगाई गई है।

15 जून की तड़के हुई थी पीट-पीटकर हत्या

वकील ब्रजेश सिंह द्वारा आयोग को सौंपे गए शिकायती पत्र और फाइल में दर्ज विवरण के अनुसार, यह पूरी घटना नालंदा जिले के राजगीर स्थित झुनकिया बाबा मंदिर परिसर के पास 15 जून को अहले सुबह घटित हुई थी। पीड़ित युवकों की पहचान गंजपर गांव निवासी पिंटू कुमार और श्रवण कुमार के रूप में की गई है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखते थे।

शिकायत में कहा गया है कि केवल चोरी के मामूली संदेह के आधार पर एक अनियंत्रित और उग्र भीड़ ने दोनों दलित युवकों को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ ने कानून को पूरी तरह अपने हाथ में लेते हुए न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया और दोनों युवकों को लाठियों तथा भारी व कुंद वस्तुओं से तब तक बर्बरतापूर्वक पीटा, जब तक वे लहूलुहान होकर मरणासन्न नहीं हो गए।

शिकायतकर्ता ने पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल

शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मानवाधिकार आयोग को दी गई जानकारी में आरोप लगाया गया है कि घटना के वक्त स्थानीय पुलिस कर्मियों का हस्तक्षेप अत्यधिक विलंबित था। पुलिस के समय पर न पहुंचने के कारण उग्र भीड़ को युवकों पर जानलेवा चोटें पहुंचाने का पूरा मौका मिल गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद दोनों पीड़ितों ने इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच अस्पताल में घावों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया।

वकील ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'जीवन के मौलिक अधिकार' का घोर उल्लंघन बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉब वायलेंस और लिंचिंग की रोकथाम के लिए जारी किए गए कड़े दिशानिर्देशों तथा खुफिया तंत्र को तैनात करने में पूरी तरह विफल रहा है।

'आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत संज्ञान ले'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायतकर्ता ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। याचिका में सम्मानपूर्वक प्रार्थना की गई है कि आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत इस जघन्य मामले का तत्काल संज्ञान ले। इसके साथ ही बिहार के पुलिस महानिदेशक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस मामले पर तत्काल तथ्यात्मक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाए। शिकायत में मांग की गई है कि अपराधियों के खिलाफ हत्या, मॉब लिंचिंग और एससी/एसटी अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए मुकदमा चलाया जाए। इसके अलावा, अराजकता को रोकने में नाकाम रहे स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और बिहार सरकार को मृतकों के आश्रितों को तत्काल वित्तीय मुआवजा तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करने का आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
18.06.2026	Kadak	---	राखिन संकट: म्यांमार अपने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संघर्षों में से एक का सामना कर रहा है। राखिन इलाके में, अराकान आर्मी ने म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है, जिससे यह डर पैदा हो गया है कि भारत की सीमा के पास एक नया देश बन सकता है। राखिन राज्य के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करने के बाद, विद्रोही गुट अब रणनीतिक रूप से अहम राजधानी, सिटवे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। खबरों के मुताबिक, अगर सिटवे अराकान आर्मी के कब्जे में आ जाता है, तो अलगाववादी ताकतें एक स्वतंत्र अराकान राज्य घोषित करने की कोशिश कर सकती हैं।	08:48 Min	Exclusive	Abc	

18.06.2026	ETV Bharat	15:00	G7 Leaders Raise Alarm Over Illegal Migration and Human Trafficking -The 52nd G7 Summit held in France expressed serious concern over rising illegal migration and human trafficking worldwide, resolving to take stricter action against international criminal networks that profit from smuggling and trafficking. Member nations pledged coordinated efforts to curb drug production, supply chains, and illicit financial transactions linked to these criminal organizations. The summit highlighted that women, children, and refugees are the most vulnerable to exploitation by these criminal groups, and urged member state ministers to more effectively implement the G7 action plan on controlling illegal migration. A joint declaration was issued on behalf of the G7 at the conclusion of the summit. Additionally, G7 leaders voiced concern over the global market being flooded with cheap Chinese goods, warning that ultra-low-cost Chinese exports are damaging domestic industries and causing job losses — drawing comparisons to the situation in the United States around the year 2000, when a surge in Chinese imports wiped out millions of American jobs, a scenario they fear could now unfold across Europe.	01:11 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	Bharat Samachar	16:00	दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ | -दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट बाल तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पांच नवजात बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया गया। जांच में फर्जी जन्म रिकॉर्ड बनाकर बच्चों को लाखों रुपये में बेचने और नेटवर्क के कई राज्यों तक फैले होने का खुलासा हुआ है।	18:20 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	ETV Telangana	19:00	G7 Summit Raises Alarm Over Rising Illegal Migration and Human Trafficking -The 52nd G7 Summit held in France has expressed serious concern over the rising issues of illegal migration and human trafficking across the world. Global leaders discussed the growing challenges posed by cross-border illegal movements and organized trafficking networks, which continue to affect international security and humanitarian conditions. The summit highlighted the urgent need for stronger cooperation between nations to tackle these transnational crimes. Member countries emphasized strengthening border security, improving intelligence sharing, and enhancing international legal frameworks to address the root causes of illegal migration and trafficking.	00:59 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	Republic Bharat	16:00	Child Trafficking Racket Busted in Delhi: 5 नवजात बच्चे बरामद! दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. उनके पास से पांच नवजात बच्चे बरामद हुए हैं. पुलिस ने अभी तक सिंडिकेट 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.	02:23 Min	Breaking News	abc	
18.06.2026	Sun TV	16:00	tragic incident in Erode, Tamil Nadu, where a young man named Sathish Kumar died following kidney transplant surgeries. The video documents the family's distress and protest against the hospital, alleging potential medical negligence in the treatment provided.	04:23 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Zee News	16:30	पीएम केयर्स फंड ने लोगों की ऐसे की मदद! पीएम केयर्स (PM CARES) फंड के जरिए कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की खरीद, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया गया पीएम केयर्स (PM CARES) फंड के जरिए कोरोना महामारी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की खरीद, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया गया	18:51 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	NewsTamil 24X7	19:00		03:07 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	First India News	18:00	Rajasthan : एक पैटर्न पर प्रसूताओं की मौतें, कारण अलग-अलग। -कोटा में 5 प्रसुताओं की मौत के मामले में भले ही चिकित्सा विभाग ने कारणों पर अधिकृत चुप्पी साध रखी हो... लेकिन 3 कमेटियों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सामने आई "सरकारी" सच्चाई ने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है... जांच कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर हाईलेवल कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी है... जिसमें सभी की मौत अलग-अलग कारणों से दर्शाई गई है... कमेटी ने एक-दो प्रकरणों में गंभीर प्रवृत्ति की लापरवाही भी मानी है.	03:49 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	IBC24 Jankarwan	13:30	Tikamgarh: अस्पताल में महिला की मौत का विरोध। परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम	00:43 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	1st India	16:20	Kota अस्पताल में लापरवाही पर गिरी गाज, सरकार को रिपोर्ट सौंपी -कोटा के सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसव के बाद 5 प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। अस्पताल में गंदगी, ओटी में संक्रमण और गायनी विभाग के पास अलग से आईसीयू नहीं होने को इसका जिम्मेदार माना गया है।	04:48 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	Zee Rajasthan	16:12	Raushan Anand on Khan Sir: पुलिस तैयार, रौशन आनंद ने जुटाए सबूत, अब खान सर सीधा जाएंगे जेल? पटना के मशहूर शिक्षक रौशन आनंद और फैजल खान उर्फ खान सर के बीच का विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी एंट्री हो गई है। भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर के होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर रौशन आनंद बेऊर जेल से जमानत पर बाहर आए। जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी गिरफ्तारी को लेकर शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए पटना पुलिस को नोटिस थमा दिया है और दो सप्ताह के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।	02:01 Min	Breaking News	abc	
18.06.2026	News24	18:00	Uttarakhand के Champawat में दलित Taxi Driver को जूतों की माला पहनाकर बेरहमी से पीटा, मचा बवाल	05:15 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Republic Bharat	19:20	Delhi News: बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. उनके पास से पांच नवजात बच्चे बरामद हुए हैं. पुलिस ने अभी तक सिंडिकेट 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.	03:11 Min	Breaking News	Abc	